SBS GOVT. P.G. COLLEGE

PIPARIYA

SSR DOCUMENT

2022-23 To 2018-19

CRITERION - 5

Student Support and Progression

Metrics No. 5.4.1

Document Title:

Certificate of Alumni Registration and list of member

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)

College Code - 3203 AISHE Code - C-35178

Accredited by NAAC with B+ Grade

Email - hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website - www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax - 07576-220112

कार्यालय प्राचार्य, शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरिया, जिला–नर्मदापुरम् (म.प्र.)
NAAC द्वारा B+ ग्रेड में मूल्यांकित
ईमेल: hegpgcpiphos@mp.gov.in
महाविद्यालय कोड: 3203
फोन/फैक्स: 07576–220112
वेबसाइट: www.gpgcpipariya.nic.in

OFFICE OF THE PRINCIPAL, SHAHEED BHAGAT SINGH GOVERNMENT P. G. COLLEGE PIPARIYA, DIST-NARMADAPURAM (M.P.)
Accredited by NAAC with B+ Grade
E-mail: hegpgcpiphos@mp.gov.in
COLLEGE CODE: 3203
PHONE /FAX: 07576-220112
Website: www.gpgcpipariya.nic.in

Ref No. 1440/Est/SBSGPGCP/2024 Pipariya, Date 19.06.2024

DECLARATION

This is to declare that the information, reports, true copies of supporting documents, numerical data etc. furnished in this file as supporting documents are verified by IQAC and found correct.

IQAC Coordinator
Coordinator (IQAC)
Internal Quality Assurance Cell
S. B. S. Govt. P. G. College
PIPARIYA (M. P.)

Principal
PRINCIPAL
Shaheed Bhagat Singh Govt. P.G. College
PIPARIYA (M. P.)

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

INDEX

Certificate of Alumni Registration and list of member

S. No.	Detail	Page Number
1	CERTIFICATE OF ALUMNI REGESTRATION	1
2	LIST OF MEMBERS OF ALUMNI ASSOCIATION	2-3
3	RULES OF ALUMNI ASSOCIATION	4-7

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)
College Code – 3203 AISHE Code – C-35178
Accredited by NAAC with B+ Grade
Email – hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112

CERTIFICATE OF ALUMNI REGESTRATION

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)
मध्य प्रदेश शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक **01/07/06/40262/23**

यह प्रमाणित किया जाता है कि **"College Alumni Association Pipariya"**,सोसायटी जो **"146, माता मार्ग मंदिर रोड, पिपरिया"** तहसील **पिपरिया** जिला **नर्मदापुरम** में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख **28 नवम्बर 2023** को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

Validity unknown
Signed by: Assistant Registrar
on 28-11-2023 10:54:50

दिनांक 28 नवम्बर 2023

सोसायटियों के रजिस्ट्रार

Note : This is a Digitally Signed document On 28/11/2023 10:46 AM Server Name : KAVERI

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)
College Code – 3203 AISHE Code – C-35178
Accredited by NAAC with B+ Grade
Email – hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112

LIST OF MEMBERS OF ALUMNI ASSOCIATION

Home | Login: Kiosk|Department Login

मुख्य सामग्री पर जाएं |Help

Registrar, Firms and Societies
Government of Madhya Pradesh

SUNIL KUAMR | होम | लॉगआउट

सोसायटी ऑनलाइन पंजीकरण फार्म

सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसायटी का ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम College Alumni Association Pipariya होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 146, माता मार्ग मंदिर रोड, पिपरिया तहसील पिपरिया जिला नर्मदापुरम पिन नं 461775 मध्य प्रदेश में स्थित होगा।

ईमेल आईडी	collegealumniassociation@gmail.com
संस्था का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)	9301048090
संस्था का प्रकार	साधारण संस्था सामान्य शुल्क (रु.) 5000
सोसायटी का कार्यक्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

अनुक्रमांक (1)	उद्देश्य
1	विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये
2	सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्रा
3	शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा रुझान विशेषत: प्रौढ़ शिक्षा में पैदा करने हेतु जागरूकता शिविर/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
4	साहित्य, कला, संगीत से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना।
5	उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये कार्य करना।
6	युवाओं तथा महिलाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु कैरियर काउंसिलिंग एवं गाइडेन्स सेवा प्रदान करना।
7	समाज में होने वाली सामाजिक बुराईयों को दूर करना एवं समाज के गरीब एवं शोषित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनका सर्वांगीण विकास करना।

समिति के सदस्य

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति सं फाईल की गई है। हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और साक्षी की उ ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच न्यस्त किया ग है-

अनुक्रमांक (1)	पिता/ पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम (2)	पूरा पता (3)	जन्मतिथि/ आयु (4)	मोबाइल नंबर (5)	उपजीविका (6)	तदर्थ शासी निकाय में पद प की दशा में पदनाम (7)
1	सुनील कुमार अग्रवाल / कैलाश अग्रवाल	म.नं. 146, वार्ड नं. 12 `आजाद वार्ड, पिपरिया `पिपरिया `नर्मदापुरम `मध्य प्रदेश	01/07/1975	9425475548	समाजसेवी	अध्यक्ष
2	चन्द्र प्रकाश भट्टर / जगदीश प्रसाद भट्टर	म.नं. 42, वार्ड नं. 19 `कावरा कालोनी, पिपरिया `पिपरिया `नर्मदापुरम `मध्य प्रदेश	29/05/1978	9425408777	उद्योगपति	उपाध्यक्ष
3	मनीष पलिया / मुरली लाल पलिया	म.नं. 03 `ग्राम- बोसखेड़ा `पिपरिया `नर्मदापुरम `मध्य प्रदेश	25/06/1977	8959780007	कृषक	सचिव
4	अभिषेक सोडानी / केशव प्रसाद सोडानी	म.नं. 148, वार्ड नं. 17 `राजेन्द्र वार्ड, पिपरिया `पिपरिया `नर्मदापुरम `मध्य प्रदेश	16/07/1979	9406940345	व्यवसायी	कोषाध्यक्ष
5	चैनसिंह पटेल / पंचम सिंह पटेल	पटेल मार्ग `ग्राम- जमाड़ा `पिपरिया `नर्मदापुरम `मध्य प्रदेश	11/05/1986	9425473232	शिक्षक	संयुक्त सचिव
6	देवेश दुबे / हरगोविन्द दुबे	म.नं. 273, वार्ड नं. 20 `सरदार वार्ड, पिपरिया `पिपरिया `नर्मदापुरम `मध्य प्रदेश	03/10/1982	7999474668	अधिवक्ता	सदस्य
7	किटी मौर्य / उमा मौर्य	म.नं. 9/1 `जयहिन्द स्कूल के पास, पिपरिया `पिपरिया `नर्मदापुरम `मध्य प्रदेश	23/08/1986	9425669437	प्रोफेसर	सदस्य

साक्षी

दिनांक:--------

हस्ताक्षर:--------------

नाम:--------

पिता/पति का नाम:-------

NAGARJUN

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

9/18/23, 1:20 PM Society Application Details Preview

Home | Login: Kiosk|Department Login

मुख्य सामग्री पर जाएं |Help

Registrar, Firms and Societies
Government of Madhya Pradesh

इसा आवदन क्रमाक क साथ काआस्क द्वारा / आवदक द्वारा सबामट का जावगा.

Your Application No is :- S4290608851018092023

Proceed to Pay for Registration Fee (Challan Fee) | Return To Firms And Society Home

Print

Powered by : MPOnline Limited Last Updated Date :9/15/2023

W3C CSS W3C XHTML 1.0

[illegible] 10 +, [illegible] (रिजोल्यूशन 1024x768)| Site Map

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)
College Code – 3203 AISHE Code – C-35178
Accredited by NAAC with B+ Grade
Email – hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112

RULES OF ALUMNI ASSOCIATION

Home | Login: Kiosk|Department Login
मुख्य सामग्री पर जाएं |Help

Registrar, Firms and Societies
Government of Madhya Pradesh

प्ररूप-1क
(नियम 3 देखिए)
(सोसायटी की उप-विधियां)

आवेदन क्रमांक : S42906088510180920233 अनुमोदन दिनाँक : 25 Sep 2023

1. सोसायटी का नाम College Alumni Association Pipariya होगा।

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 146, माता मार्ग मंदिर रोड, पिपरिया 461775 तहसील पिपरिया जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
मोबाईल क्रमांक(अध्यक्ष/सचिव) 9301048090 एवं ईमेल आईडी collegealumniassociation@gmail.com

3. संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

4. **सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः-**

1	विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये
2	सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
3	शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा रूझान विशेषत: प्रौढ़ शिक्षा में पैदा करने हेतु जागरूकता शिविर/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
4	साहित्य, कला, संगीत से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना।
5	उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये कार्य करना।
6	युवाओं तथा महिलाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु केरियर काउंन्सिलिंग एवं गाइडेन्स सेवा प्रदान करना।
7	समाज में होने वाली सामाजिक बुराईयों को दूर करना एवं समाज के गरीब एवं शोषित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनका सर्वांगीण विकास करना ।

5. **सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गो के होंगेः-**

(क) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ख) आजीवन सदस्य वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।

(ग) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है।

(घ) मानद सदस्य- सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे मतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।

6. **सदस्यता की करना-**प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।

7. **सदस्यता के लिए अर्हता-** सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य हैः-
   1. आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
   2. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।

TAPTI

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

	5.कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय। ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।
9.	**सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी:-** 1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर 2.रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख | 3.सदस्यता की समाप्ति की तारीख।
10.	**(क) साधारण सम्मिलन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा। **(ख)प्रबंधकारिणी समिति-** प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।
11.	**साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व-** एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना । दो. सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना । तीन. आगामी वितीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना। चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए। पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना। छ. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।
12.	**प्रबंधकारिणी समिति का गठन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :- (1)अध्यक्ष 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोषाध्यक्ष 1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)सदस्य 2
13.	**प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल:** प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
14.	**प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व-** (क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है। (ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना। (ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पति पर प्रभारित करों का भुगतान करना । (घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना । (ड.) ऐसे आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं । (च) कोई स्थावर सम्पति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित

TAPTI

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

17. **सचिव के अधिकार-**
(क) जब कभी भी आवश्यक हो, साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना ।>
(ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना।
(ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए ।
(घ) सचिव, एक समय में रू. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।

20. **बैंक खाता-** सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा। दैनिक खर्च के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/- रहेंगे।

21. **रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी-** मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे, प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

22. **विघटन-** सोसायटी द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया, यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुक्रम हो तो निष्पादित की जाएगी।

23. **सम्पत्ति-** समस्त जंगम या स्थावर सम्पति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं ।

हस्ताक्षर []	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
अध्यक्ष / सदस्य	**सचिव / सदस्य**	**कोषाध्यक्ष / सदस्य**

☐Check The Document

Close Continue To E-Sign

TAPTI

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

Email – hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112

Home | Login: Kiosk|Department Login

मुख्य सामग्री पर जाएं |Help

Registrar, Firms and Societies
Government of Madhya Pradesh

TAPTI

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved